

प्रेस- विज्ञप्तिथाना अतरौलियाकिशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व का विवरण –

दिनांक 07.07.24 को अभियुक्त ऋषिकेश उर्फ शुड्डू राजभर पुत्र राजेश राजभर निवासी ग्राम कड़सरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी की नाबालिक लड़की को बहला – फुसला कर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 257/24 धारा 137(2),87 बीएनएस बनाम ऋषिकेश उर्फ शुड्डू राजभर पुत्र राजेश राजभर निवासी ग्राम कड़सरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । जिसकी विवेचना उ0नि0 जफर अयूब द्वारा सम्पादित की जा रही है । दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा धारा 64(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 18.07.24 को उ0नि0 जफर अयूब मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित ऋषिकेश उर्फ शुड्डू राजभर पुत्र राजेश राजभर निवासी ग्राम कड़सरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष को मदियापार मोड़ से कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 11.05 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 257/24 धारा 137(2),87,64(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-ऋषिकेश उर्फ शुड्डू राजभर पुत्र राजेश राजभर निवासी ग्राम कड़सरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 जफर अयूब मय हमराह हे0का0 मनोज तिवारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ।

थाना – रौनापारहत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

आवेदक श्री जुल्फेकार पुत्र स्व0 शमीम उम्र करीब 28 वर्ष सा0 करमैनी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र कि दिनांक 16.07.24 को समय 18.40 बजे पुरानी रंजीश को लेकर आरोपीगण द्वारा चाँदपट्टी बाजार में वादी के भाई औरंगजेब को एक राय होकर गाली गलौज देते हुए जान मारने की नियति से सिर पर लाठी डण्डा से प्रहार कर घायल कर देने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 301/24 धारा 3(5),109,352,351(2) बीएनएस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बनाम 1.मुकेश शर्मा पुत्र हीरालाल शर्मा 2.सुनील शर्मा पुत्र जवाहर शर्मा साकिनान चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया मय हमराह द्वारा दिनांक 17.07.24 को ग्राम हिरनई गुल्लीगढ़ के गेट के सामने से समय करीब 23.35 बजे अभियुक्त 1.मुकेश शर्मा पुत्र हीरालाल शर्मा उम्र करीब 28 वर्ष 2.सुनील शर्मा पुत्र जवाहर शर्मा उम्र करीब 29 वर्ष साकिनान चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को हिरासत पुलिस मे लिया गया। जिन्हे आज मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 301/24 धारा 3(5),109,352,351(2) बीएनएस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 301/24 धारा 3(5),109,352,351(2) बीएनएस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1.मुकेश शर्मा पुत्र हीरालाल शर्मा उम्र करीब 28 वर्ष

2.सुनील शर्मा पुत्र जवाहर शर्मा उम्र करीब 29 वर्ष निवासीगण ग्राम चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

बरामदगी:- अभियुक्त मुकेश शर्मा द्वारा घटना मे प्रयुक्त आला जुर्म एक अदद लकड़ी का पटरा बरामद कराया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2. का0 सुमित यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

3. का0 अमरनाथ शर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़